संख्या-37/2015/1739 ई-2/तेरह-2015-33/2013

प्रेषक,

राम बहादुर सिंह ,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक 26 अगस्त,2015

विषय:- मे0 अंसल हाउसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0 द्वारा के ब्लाक अंसल फारचून अर्केड, सेक्टर-18, नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर में संचालित बार रेस्टोरेन्ट के मालिकाना एवं बार के नाम को परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

---

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-जी-63/दस-लाइसेंस-64/ एफ0एल0-6,7/(खण्ड-16)बार अनु0/नोयडा/2015, दिनांक 29 जुलाई,2015(प्रतिलिपि संलग्न) का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संदर्भगत प्रकरण में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के उक्त संदर्भित पत्र दिनांक 29 जुलाई,2015 में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव/अनापत्ति व अन्य सुसंगत अभिलेखों पर सम्यक् विचारोपरान्त मे0 अंसल हाउसिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शन लि0 के स्थान पर स्वामित्व प्राप्त करने वाली नई इकाई मे0 ब्रायस कैफे प्रा0लि0, पंजीकृत कार्यालय 305, तृतीय तल, अरूणांचल बिल्डिंग, 19 बारहखम्भा रोड, कनाट प्लेस, नई दिल्ली का नाम दर्ज किये जाने व उक्त रेस्टोरेन्ट का नाम कुजीन स्पोर्ट्स बार से परिवर्तित कर "द फ्लेमिंग किक रेस्टोरेन्ट बार" किये जाने हेतु शासन की अनुमति/स्वीकृति राजस्वहित में एतद्द्वारा प्रदान की जाती है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया तद्नुसार प्रकरण में अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
( राम बहादुर सिंह )
संयुक्त सचिव।

संख्या-37/2015/1739(1) ई-2/तेरह-2015, तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रति आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पत्र संख्या- जी-63/दस-लाइसेंस-64/ एफ0एल0-6,7/(खण्ड-16)बार अनु0/नोयडा/2015, दिनांक 29 जुलाई,2015 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
( राम बहादुर सिंह )
संयुक्त सचिव।

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in